आजाद भारत के विकास में संविधान संशोधन की आवश्यकता एवं महत्व

डॉ. सुनीता त्रिपाठी
प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग
शास. स्वशासी कन्या उत्कृष्टता, महाविद्यालय, सागर

सारांश -

स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है। जिसे राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हों । प्रत्येक देश के संविधान में एक प्रस्तावना होती है। जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गण राज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प है।

मुख्य शब्द - संविधान, संशोधन, लोकतंत्र, अनुच्छेद

कई वर्षो के संघर्षो के पश्चात् 15 अगस्त सन् 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, परन्तु इस स्वतंत्रता को वनाये रखने के लिए भारत को प्रभुता-संपन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाना एवं इसको सुदृढ़ ढाँचा प्रदान करना अर्थात् भारत के लिए एक संविधान की रचना करना आधुनिक राजनीतिज्ञों के सामने बड़ी चुनौती रही, यह कार्य पूर्ण करना सरल नहीं था, परन्तु संविधान निर्माण समिति अपने अथक प्रयासों तथा कार्यकुशलता से संविधान का निर्माण करने की ओर अग्रसर रहीं। नवम्बर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया, डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई। अनेक चुनौतियों के वाद संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, इस प्रारूप पर 8 महीने तक बहस हुई और प्रारूप में अनेक संशोधन भी किए गये एवं सभा के 11 अधिवेशन भी हुये। इस प्रकार 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कड़ी मेहनत से 26 नवम्बर 1949 को संविधान का निर्माण सम्पन्न हुआ, इसके पश्चात् 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, अर्थात भारत रूपी प्रभुता-सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य का निर्माण हुआ। जब संविधान

ISSN 2395-031X

बना था तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और केवल 8 धारायें थी, और संशोधित होते होते इसमें 25 भाग, 448 अनुच्छेद, और 12 अनुसूचियां हो गई है।

किसी भी देश का संविधान कितनी ही सावधानी से क्यों ना बनाया गया हो किन्तु संविधान निर्माता इसे पूर्ण रूप से भविष्य के अनुरूप नही बना सकते क्योंकि मनुष्य की कल्पना शक्ति भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगा सकती। किसी देश का संविधान वहां के समाज के लिये बनाया जाता हैं, हम जानते है कि प्रकृति परिवर्तनशील है और इसी तरह हमारा समाज भी परिवर्तनशील है। समयानुसार मान्य की जिज्ञासा प्रबल होती है, और कई परिवर्तन किए जाते हैं, क्योंकि हमारे मानव समाज की समयानुसार कई आवश्यकताएं होती हैं। इन्हीं आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए एक मजबूत ढांचा चाहता है, जिसकी सहायता से वह आवश्यकतानुसार अपने देश में पूर्ण संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त कर सके, जिससे कि वह स्वयं एवं समाज को मजबूत बना सके, इन तथ्यों को प्रदान करने वाला हमारा भारतीय संविधान हमें संवैधानिक अधिकारों में समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करने की अनुमति प्रदान करता है। संविधान के इस प्रावधान को हम संवैधानिक संशोधनों के नाम से जानते हैं। संविधान के संशोधन की प्रकृति के विषय में भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा है कि हालॉकि हम इस संविधान को इतना ठोस और स्थायी बनाना चाहते हैं जितना कि हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है। इसमें कुछ सीमा तक परिवर्तनशीलता होनी चाहिए।

यदि आप किसी वस्तु को अपिरवर्तनशील और स्थायी बना देंगे तो राष्ट्र की प्रगति को रोक देंगे और इस प्रकार आप एक जीवित और संगठित राष्ट्र की प्रगति को भी रोक देंगे। किसी भी अवस्था में हम इस संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते थे कि यह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित न हो सके, जबकि विश्व एक संक्रान्ति-काल में है और हम परिवर्तन की अत्यन्त ही तीव्र गति के युग से गुजरे रहे हैं, तब सम्भव है कि हम आज जो कुछ कह रहे हैं, कल वही पूरी तरह लागू न हो सके।

भारतीय संविधान के भाग-20, अनुच्छेद-368 में संशोधनों के लिए प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया भारतीय संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किये वगैर संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है। संवैधानिक अनुच्छेद में संशोधन उनकी महत्ता को ध्यान में रखकर किया जाता है। संवैधानिक संशोधन तीन प्रक्रियों द्वारा किया जा सकता है :-

1. साधारण बहुमत – संविधान के कुछ उपबंधों का परिवर्तन संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। अतः ऐसे प्रावधानों को संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से ही बन सकती है अर्थात् संसद में साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके नये राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि ऐसे ही विषय है जिनमें साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है;
2. विशेष बहुमत– संविधान के बहुत से उपबंध ऐसे हैं जिनमें संसद में विशेष बहुमत से विधेयक पारित करके परिवर्तन किया जा सकता है अर्थात् उस सदन के कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक तथा

उपस्थित और मत देने सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित विधेयक।

3. विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुसमर्थन – इस श्रेणी में वे उपबन्ध आते हैं जो संघात्मक ढांचे से सम्बन्धित हैं। इन उपबन्धों के संशोधन के लिए सबसे कठिन प्रक्रिया अपनायी गयी है। इसमें संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत तथा कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।

संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत -

भारतीय संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किये बगैर संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जो संविधान की मूल संरचना को प्रभावित ना करे। यदि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन किया जाता है तो इसका मतलब एक नवीन संविधान का निर्माण करना और यह निर्माण संविधान सभा ही कर सकती है संसद नहीं, इसलिए संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित किये बगैर संशोधन करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया । कुछ मुख्य संविधान के संशोधनों का उद्देश्य क्या था तथा उसका परिणाम भारत देश के विकास में क्या था ये निम्नलिखित संशोधनों से ज्ञात होता है।

- प्रथम संविधान संशोधन (1951) : इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है।
- 7वां संविधान संशोधन (1956) : इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया है।
- 10वां संविधान संशोधन (1961) : इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
- 12वां संविधान संशोधन (1962) : इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया।
- 14वां संविधान संशोधन (1962) : इसके द्वारा पाण्डेचेरी को केन्द्र शासित प्रदेशांक रूप में भारत में विलय किया गया।
- 18वां संविधान संशोधन (1966) : इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुर्नगठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चण्डीगढ़ को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया।
- 21वां संविधान संशोधन (1967) : इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिन्धी भाषा को शामिल किया गया।
- 24वां संविधान संशोधन (1971) : इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।

ISSN 2395-031X

- 45वां संविधान संशोधन (1974) : इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया।
- 36वां संविधान संशोधन (1975) : इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22 वे राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया।
- 42वां संविधान संशोधन (1976) : यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे।

1. संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखण्डता शब्दों को जोड़ा गया।
2. मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।
3. शिक्षा, वन और वन्यजीव, राज्यसूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
4. लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया।
5. राष्ट्रपति को मंत्रीपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया।
6. संसद द्वारा किये गये संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है।

- 44वां संविधान संशोधन (1978) :

1. सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है।
2. लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।
3. राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशान्ति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है।
4. राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्री मण्डल की सलाह को एक बार पुर्नविचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा।

- 48वां संविधान संशोधन (1984) : संविधान के अनुच्छेद 356 (5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाव में राष्ट्रपति शासन की अवधि को दो वर्ष तक और वढ़ाया जा सकता है।
- 52वां संविधान संशोधन (1985) : इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया।
- 56वां संविधान संशोधन (1987) : इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया।
- 61वां संविधान संशोधन (1989) : संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

- 71वां संविधान संशोधन (1992) : इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया।
- 73वां संविधान संशोधन (1992) : इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर सम्पूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- 74वां संविधान संशोधन (1992) : इसके द्वारा संविधान में 12 वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया।
- 84वां संविधान संशोधन (2001) : इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई।
- 86वां संविधान संशोधन (2003) : इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया।
- 91वां संविधान संशोधन (2003) :

1. इसके द्वारा केन्द्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबन्धित करने का प्रावधान है।
2. इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है।
3. छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई है।

- 92वाँ संविधान संशोधन (2003) : इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूचीं में बोडो, डोगंरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया है।
- 101 वाँ संविधान संशोधन : जीएसटी बिल का प्रावधान
- 102 वाँ संविधान संशोधन : ओबीसी आयोग को संविधान फ्रेम मिला
- 103 वाँ संविधान संशोधन : ईडब्ल्यूएस अनुभाग के लिए 10% का आरक्षण
- 104 वाँ संविधान संशोधन : एससी/एसटी आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ी
- 108वां संविधान संशोधन : महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण
- 109वां संविधान संशोधन : पंचायती राज्य में महिला आरक्षण 33% से 50%
- 110वां संविधान संशोधन : स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण
- 114वां संविधान संशोधन : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष
- 115वां संविधान संशोधन : GST (वस्तु एवं सेवा कर)

- 117वां संविधान संशोधन : SC व ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण

उपरोक्त सभी संविधान के संशोधनों से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा संविधान काफी लचीला है लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे और मूलभूत विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार भारतीय संविधान में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किये गये तथा भविष्य में भी संविधान में संशोधनों की सम्भावना है।

सन्दर्भ -

1. जैन, डॉ. पुखराज : भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्सन आगरा, उ. प्र., 2015
2. खत्री, डॉ. हरीश कुमार : भारत का संविधान, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल म.प्र., 2001
3. फडिया, डॉ. बी.एल. : भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, 2018
4. खत्री, डॉ. हरीश कुमार : भारतीय संघीय व्यवस्था, कैलाश पुस्तक सदन, 2002